"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2010— पौष 10, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हैदर अली आत्मज शब्बीर अहमद, उम्र-39 वर्ष, निवासी-इंदिरा नगर, सुपेला, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपनी पुत्री आयशा तरन्नुम, उम्र 16 वर्ष, जो कि उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण - पत्रों में दर्ज है, का नाम वर्तमान धार्मिक रीति-रिवाज़ के अनुसार परिवर्तित कर नया नाम अख्तरी बानो रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरी पुत्री को अख्तरी बानो आत्मज हैदर अली के नाम से जाना, पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
आयशा तरन्नुम पिता-हैदर अली निवासी-इंदिरा नगर सुपेला, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	अख्तरी बानो पिता-हैदर अली निवासी-इंदिरा नगर सुपेला, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुमारी ममता दुबे पिता श्री ज्वाला प्रसाद दुबे, आयु-25 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. - 41, महावीर रेसीडेन्सी के पीछे दलपत सागर वार्ड क्रमांक - 18, जगदलपुर, बस्तर (छ. ग.) की हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कुमारी ममता मण्डा पिता एम. व्ही. ए. सुब्रमण्यम मण्डा (प्राकृतिक पिता) दर्ज है. यह कि मैं श्री ज्वाला प्रसाद दुबे की गोद पुत्री हूं तथा माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश जगदलपुर, बस्तर (छ. ग.) के प्रकरण क्र. 10 ए/09 में पारित निर्णय दिनांक 16-02-2010 के अनुसार मुझे श्री ज्वाला प्रसाद की गोद पुत्री घोषित किया गया है. मैं अपने उपनाम "मण्डा" के स्थान पर "दुबे" एवं प्राकृतिक पिता एम. व्ही. ए. सुब्रमण्यम के स्थान पर गोद पिता श्री ज्वाला प्रसाद दुबे को अंकित किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे कुमारी ममता दुबे पिता श्री ज्वाला प्रसाद दुबे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कुमारी ममता मण्डा पिता - स्व. एम. व्ही. ए. सुब्रमण्यम गोद पिता - श्री ज्वाला प्रसाद दुबे निवासी-प्लाट नं. 41, महावीर रेसीडेन्सी के पीछे, दलपत सागर वार्ड क्रमांक - 18, जगदलपुर, बस्तर (छ. ग.)	कुमारी ममता दुबे पिता - श्री ज्वाला प्रसाद दुबे निवासी-प्लाट नं. 41, महावीर रेसीडेन्सी के पीछे, दलपत सागर वार्ड क्रमांक - 18, जगदलपुर, बस्तर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

प्रकरण क्र. ब/113 (1) वर्ष 2009-10

क्रमांक /95/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कमल किशोर शारडा, अध्यक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ महेश्वरी चेरीटेबल ट्रस्ट, ए-2 मल्लिका जयश्री मर्लिन विहार, पंडरी तराई रायपुर का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 27-01-2011 की होगी

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता : छत्तीसगढ़ महेश्वरी चेरीटेबल ट्रस्ट, ए-2 मल्लिका जयश्री मर्लिन विहार, पंडरी तराई रायपुर.

2. चल संपत्ति : रु. 5000/-

3. अचल संपत्ति : निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20-12-2010 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 30 नवम्बर 2010.

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंका/परिसमापन/निरस्तीकरण/2010/892.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 730 दिनांक 16-11-2009 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अलबेलापारा कांकेर, तहसील कांकेर, जिला कांकेर जिसका पंजीयन क्रमांक 498 दिनांक 27-4-05 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 67 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती हेमलता देशमुख शर्मा, स. वि. अ. कांकेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की परिसमापक का कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर जिला कांकेर, छ. ग. छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/7-3/सह./15/2426/ दिनांक 13-06-2001 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-11-10 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 नवम्बर 2010

(छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत)

क्रमांक/उपंका/परिसमापन/निरस्तीकरण/2010/893.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 274 दिनांक 05-05-2006 के द्वारा आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बारदेवरी, तहसील कांकेर, जिला कांकेर जिसका पंजीयन क्रमांक 425 दिनांक 07-1-97 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 67 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री के. एल. उईके, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की परिसमापक का कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर जिला कांकेर, छ. ग. छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/7-3/सह./15/2426/ दिनांक 13-06-2001 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-11-10 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 नवम्बर 2010

(छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत)

क्रमांक/उपंका/परिसमापन/निरस्तीकरण/2010/894.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 274 दिनांक 05-05-2006 के द्वारा बस्तर आदिवासी युवा विकास सहकारी संस्था मर्या., पीढ़ापाल, तहसील कांकेर, जिला कांकेर जिसका पंजीयन क्रमांक 345 दिनांक 29-03-95 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 67 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री के. एल. उईके, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की परिसमापक का कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर जिला कांकेर, छ. ग. छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/7-3/सह./15/2426/ दिनांक 13-06-2001 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-11-10 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

सी. एल. ध्रुव,
उप पंजीयक.

कार्यालय, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक, विकासखण्ड धमधा

धमधा, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/क्यू.—छ. ग. सहकारी संस्थायें 1962 के उपनियम 57 (2) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है निम्न सहकारी समितियों के दावेदार लेनदार अपने दावे मय लिखित में सप्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक (3)	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1.	नवसाक्षर मसाला उद्योग सह. समिति मर्यादित दादर.	2552	1608/22-8-2000
2.	नवसाक्षर महिला रिफिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., उमदा.	2553	1609/22-8-2000
3.	नवसाक्षर बेकरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दादर 2.	2554	1611/22-8-2000

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास संस्था की चल/अचल संपत्ति हो तो तत्काल परिसमापक को सौंपे अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

शोभा गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.